

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०सं०-9/आ०-03-14/2023 (स्वा०)/ पटना, दिनांक:.....

डॉ० हेमचन्द्र लाल कर्ण, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामनगर, पश्चिम चम्पारण, बेतिया सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध अधीनस्थ कर्मियों के अनियमित रूप से सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम राशि की निकासी करने, मुख्यालय से बाहर रहने, सिविल सर्जन, बेतिया द्वारा वेतन अवरुद्ध करने के बावजूद वेतन की निकासी करने तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के दायित्व के निर्वहन में सजग नहीं रहने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं०-660(18) दिनांक-22.04.1999 द्वारा निलंबित किया गया तथा उक्त आरोप के लिए विभागीय संकल्प सं०-1020(18) दिनांक-29.06.1999 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. डॉ० कर्ण के वार्धक्य सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके सेवाकाल में संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय संशोधित संकल्प सं०-610(17) दिनांक-02.08.2019 द्वारा बिहार पेंशन नियामवली, 1950 के नियम-43 (ख) के अधीन सम्परिवर्तित किया गया।

3. विभागीय आदेश सं०-823(17) दिनांक 09.10.2019 द्वारा डा० कर्ण को वार्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि-31.03.2019 के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा डॉ० कर्ण के विरुद्ध गांठित आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-133(9) दिनांक-23.01.2024 द्वारा डॉ० कर्ण से द्वितीय कारण-पृच्छा की माँग की गयी। डॉ० कर्ण द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित कर अवगत कराया गया कि उनके द्वारा चिकित्सीय व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। श्री सुरेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन लिपिक द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर सामान्य भविष्य निधि के खाते से राशि की निकासी की गयी। श्री प्रसाद को सेवा से बर्खास्त किया गया है। डा० अमरनाथ, तत्कालीन सिविल सर्जन, बेतिया द्वारा तत्कालीन पारा मेडिकल कर्मियों को योगदान स्वीकृत करने हेतु दवाब दिया, परन्तु डा० कर्ण द्वारा दवाब नहीं कराने से क्षुब्ध होकर उनके विरुद्ध निराधार आरोप विभाग को प्रतिवेदित कर दिया गया।

5. प्रशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ० कर्ण द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर की सम्यक् समीक्षोपरान्त पाया गया कि उपरोक्त लिखित, बिहार द्वारा पारित विपत्र की प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाती है। इसके बावजूद भी डॉ० कर्ण द्वारा सस्थान के रोकड बही एवं बैंक के अन्तरिम शेष के अनियमित रूप से अद्यतन नहीं किया गया। फलस्वरूप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामनगर, बेतिया में कर्मियों के सामान्य भविष्य निधि के खाते से कुल 1,31,859/- रु० की अनियमित निकासी हुई।

6. प्रशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ० कर्ण के विरुद्ध वित्तीय हानि होने के प्रमाणित आरोप के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(ख) के अधीन वित्तीय दायित्व के प्रति सजग नहीं रहने के आरोप में अधिसूचना निर्गत की तिथि से 10% (दस प्रतिशत) पेंशन की राशि 03 (तीन) वर्षों तक निकासी करने की शक्ति अधिरोपित एवं निलंबन अवधि (दिनांक-22.04.1999 से 31.03.2019) में उपरोक्त के आधार पर जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने का विनिश्चय किया गया।

09/09/2024

7. विभागीय पत्रांक-1319 (9) दिनांक-17.12.2024 एव पत्रांक-654(9) दिनांक-23.06.2026 द्वारा डॉ० कर्ण के विरुद्ध उक्त अधिरोपित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-1891 दिनांक-25.08.2026 द्वारा उक्त दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

8. अतएव डॉ० हेमचन्द्र लाल कर्ण, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामनगर, पश्चिम चम्पारण, बेतिया सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43 (ख) के अधीन अधिसूचना निर्गत की तिथि से 10% (दस प्रतिशत) पेंशन की राशि 03 (तीन) वर्षों तक कटौती करने की शास्ति अधिरोपित एव निलंबन अवधि (दिनांक-22.04.1999 से 31.03.2019) में उपस्थिति के आधार पर जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने का विनिश्चय संसूचित किया जाता है।

9. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-9/आ०-03-14/2023 (स्वा०)/ पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-9/आ०-03-14/2023 (स्वा०) 1191(9)/ पटना, दिनांक: 09.09.26

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर / क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / सिविल सर्जन, पश्चिम चम्पारण, बेतिया / कोषागार पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण / सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव / सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना / प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 2, 3, 7, 8, 17 एवं 18। स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डॉ० हेमचन्द्र लाल कर्ण, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामनगर, पश्चिम चम्पारण, बेतिया सम्प्रति सेवानिवृत्त। वर्तमान पता-ब्रह्मपुर, शनिचरास्थान, मुजफ्फरपुर-842003 मो०-7488124332, Email-drhelkarn@gmail-com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

09/09/2026

सरकार के अवर सचिव।